ायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांकः 17. 03.2021

रण संख्या– 07/2020 प्रार्थना पत्र

उनवान

नीबाई बेवा गणेश जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी करौली तहसील बडीसादडी

छीराम पिता पोखर डांगी उम्र वयस्क निवासी करौली तहसील बडीसादडी

.................प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

सरपंच ग्राम पंचायत नपावली तहसील भदेसर

.........विपक्षीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

उपस्थित– श्री औकांरलाल रायका वकील वादी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वादपत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम हापाखेडी, पटवार हल्का नपावली त0 भदेसर में स्थित है जिसके आराजी नम्बर का विवरण निम्न प्रकार है :–

संवत् 2073 से 2076 की जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 47 आराजी नम्बर 36 रकबा 1.3400 हैक्टर आराजी नंबर 37 रकबा 2.1300 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.4700 हैक्टैयर कुल लगानी 24.29 रूपये स्थित है उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के परिवार के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई तब से लगायत आज तक वर्तमान में बिना किसी विवाद के संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

यह कि प्रार्थीगण के नाम पर नामान्तरण कार्यवाही होते समय हल्का पटवारी एवं सरपंच द्वारा लापरवाही करते हुए सही नाम का ध्यान नहीं रखकर प्रार्थी संख्या 1 का जो एकमात्र नाम डालीबाई समस्त सरकारी दस्तावेजों एवं बोलचाल में है जिसके बजाय हल्का पटवारी एवं सरपंच ने ना0क0 में डालीबाई के बजाय दाखीबाई अंकित कर दिया है एवं प्रार्थी संख्या 2 का जो एकमात्र नाम लच्छीराम समस्त सरकारी दस्तावेजो एवं बोलचाल की भाषा में है जिसके बजाय हल्का पटवारी एवं सरपंच ने नामान्तरण में लच्छीराम के बजाय लच्छा अंकित कर दिया जो जो त्रुटिवश किया गया है। जबकि प्रार्थी संख्या 1 को दाखीबाई नाम से एवं प्रार्थी संख्या 2 को लच्छा के नाम से कोई दस्तावेज अथवा बोल चाल की भाषा में भी नही जानता है। ऐसी स्थिति में गलत नाम रेकार्ड में दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को भविष्य में कई प्रकार की समस्योओं का सामना करना पडेगा। इस कारण प्रार्थीगण का नाम पुनः दुरूस्त करवाने के लिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र बावत दुरूस्ती करना आवश्यक हो गया है ।

3. यह कि उक्त नाम की ताईद में दस्तावेज , आधार कार्ड , राशनकार्ड भामाशाह कार्ड पहचान पत्र एवं ग्राम करौली तहसील बडीसादडी का रेवेन्यू रेकार्ड साथ संलगन किया है ।
4. यह कि यह कि प्रार्थी ने अपने खाते की नकल दिनांक 11.02.2020 को प्राप्त की तब से उक्त त्रृटि की जानकारी प्राथीगर्ण को हुई जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश हे ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ग्राम हापाखेडी की कृषि भूमि खाता संख्या 47 आराजी नम्बर 36 , 37 कुल किता 02 कुल रकबा 3.4700 हैक्टैयर में नाम की त्रृटि सुधार कर दाखीबाई के बजाय डालीबाई एवं लच्छा के बजाय लच्छीराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया । विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गये । प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1. नकल जमाबंदी ग्राम हापाखेडी खाता संख्या 47 संवत् 2073–2076
2. ग्राम पंचायत पुनावली तहसील बडीसादडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 12.2.2020
3. आधार कार्ड संख्या 364737069800 डाली बाई
4. भामाशाह कार्ड डाली बाई संख्या पहचान संख्या वाई एस वाई एफ सी सी ओ
5. राशन कार्ड डाली बाई बारकोड संख्या 200002252493
6. मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/19/126/225521डाली बाई
7. आधार कार्ड लच्छीराम डांगी संख्या 520924478598
8. मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/19/126/225360 लच्छीराम
9. राशन कार्ड लच्छीराम बारकोड संख्या 010151800156
10. नकल जमाबंदी ग्राम करोली खाता संख्या 67 संवत् 2076–2079
11. नकल जमाबंदी ग्राम करोली खाता संख्या 70 संवत् 2073–2076

बहस सुनी गयी। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रार्थीगण क्रमशः डालीबाई एवं लच्छीराम का समस्त सरकारी दस्तावेजों में डालीबाई एवं लच्छीराम ही अंकित है किन्तु ग्राम हापाखेडी की कृषि भूमि खाता संख्या 47 आराजी नम्बर 36 , 37 कुल किता 02 कुल रकबा 3.4700 हैक्टैयर में प्रार्थीगण का नाम अन्य सहखातेदारान के साथ अशुद्व नाम दाखीबाई बेवा गणेश 1/4 खूमा लच्छा पिता पोखर 1/2 अकिंत है। जबकि ग्राम करोली की जमाबन्दी में दाखीबाई का सही नाम डाली बाई एवं लच्छा का सही नाम लच्छीराम अंकित है । दाखी बाई तथा लच्छा दोनों का सही नाम क्रमशः डाली बाई एवं लच्छीराम होने के संदर्भ में ग्राम पंचायत पुनावली द्वारा भी दिनांक 12.2.2020 को प्रमाण पत्र जारी किया गया। सभी दस्तावेजों में एकरूपता की दृष्टि से प्रार्थीगण अपभ्रंश अपना नाम दाखी के स्थान पर डालीबाई एवं लच्छा के स्थान पर लच्छीराम शुद्व दर्ज करवाना चाहता है। जो उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम हापाखेडी की कृषि भूमि खाता संख्या 47 आराजी नम्बर 36 , 37 कुल किता 02 कुल रकबा 3.4700 हैक्टैयर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

...पाला/पाल वही व्यक्ति है जिसके लिए मैंने विश्वास कर लिया है।

...क्षर वकील

Scanned by TapScanner

दिगर खातेदारान् के साथ अंकित प्रार्थी संख्या 01 का नाम दाखीबाई बेवा गणेश 1/4 के स्थान पर डालीबाई बेवा गणेश 1/4 एवं खूमा लच्छा पिता पोखर 1/2 के स्थान पर खूमा लच्छीराम पिता पोखर 1/2 शुद्धि से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावें । उक्त प्रकार से नाम में शुद्धि होने से प्रार्थीगण अपने पूर्व नाम के किसी भी ऋण, भार, बोझ ,प्रभार के दायित्वों से विमुक्त नहीं हो सकेगें । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner